ायालय उपखण्ड अधिकारी देवली जिला टोंक राज0

(पीठासीन अधिकारी श्रीमती रूबी अंसार R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिसल संख्या :–384 / 2024 निर्णय दिनांक :–26.02.2026

उनवानी दावाः

ललता पत्नि परमेश्वर पुत्री घासीलाल जाति ब्राहमण निवासी बंथली तहसील दूनी जिला टोंक राज0

–प्रार्थीया

बनाम

1. कैलाश पुत्र जगदीश जाति ब्राहमण जाति ब्राहमण निवासी बंथली तहसील दूनी जिला टोंक राज0
2. सीताराम पुत्र जगदीश जाति ब्राहमण जाति ब्राहमण निवासी बंथली तहसील दूनी जिला टोंक राज0

–अप्रार्थीगण–

–उपस्थिति –
श्री प्रेमचन्द जैन
अधिवक्ता अधि0प्रार्थीगण

श्री अनिल भूरेठा
अप्रार्थीगण सं 1 ता 2

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान टिटनेन्सी एक्ट

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी उक्त उनवानी दावा माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिया है जिसके डिक्री होन की पूरी सम्भावना है, प्रार्थना पत्र के तीनो तत्व प्रार्थीया के पक्ष मे साबित है। आ0 ख0नं0 1569 रकबा 0.0900 है0 ग्राम बंथली तहसील दूनी जिला टोंक मे स्थित है, जिसकी प्रार्थीया एक मात्र रिकार्डेड खातेदार तथा खाबिज महिला काश्तकार है। प्रार्थीया अपनी खातेदारी की भूमि पर शांतिपूर्वक काबिज है तथा काश्त कर उसकी पैदावार का उपयोग–उपभोग कर जीवन यापन कर रही है, जिसका प्रार्थीया को पूर्ण वैधानिक अधिकार प्राप्त है। उक्त वर्णित भूमि से प्रार्थीया के अलावा अन्य किसी का या प्रतिपक्षीगण का कोई संबंध या लेना देना किसी प्रकार का नही है, प्रार्थीया एक महिला खातेदार, काश्तकार है तथा प्रतिादीगण पुरूषवर्ग बदमाश व झगड़ालू किश्म के लोग है जो बिना किसी अधिकार के ताकत के बल पर कानून को अपने हाथ में लेकर प्रार्थीया को असहाय समझकर, जबरन उक्त भूमि से बेदखल करने प्रार्थीया के कब्जे–काश्त मे हस्तक्षेप करने तथा स्वंय नाजायज रूप से कब्जा करने पर आमादा है इस कारण उनको दावे के निर्णय तक रोका जाना आवश्यक है। प्रतिपक्षीगण को दावे के निर्णय तक जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबंद करना आवश्यक व न्यायसंगत है कि वे स्वंय जरिये नौकर चाकर रिश्तेदार या अन्य किसी के माध्यम से प्रार्थीया की खातेदारी व कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग मे किसी प्रकार हस्तक्षेप नही करे। इसको बेदखल या स्वंय नाजायज कब्जा नही करे अन्यथा प्रार्थीया को अपार हानि होगी। कई प्रकार के

व शांतिभंग होगी तथा अनावश्यक मुकदमेबाजी बढ़ेगी प्रतिपक्षीगण अपने नाकाम बो मे सफल हो जायेगे।

अतः प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर वेदन है कि प्रतिपक्षीगण को दावे के निर्णय तक जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबंद करना आवश्यक व न्यायसंगत है कि वे स्वंय जरिये नौकर चाकर रिश्तेदार या अन्य किसी के माध्यम से प्रार्थीया की खातेदारी व कब्जे काश्त की उक्त वर्णित वादग्रस्त भूमि आ0 ख0नं0 1569 रकबा 0.0900 है0 ग्राम बंथली तहसील दूनी जिला टॉक मे प्रार्थीया के कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग मे किसी प्रकार हस्तक्षेप नही करे। इसको बेदखल या स्वंय नाजायज कब्जा नही करे

अप्रार्थीगण की तलबी जारी की गई।

अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 2 की ओर से अधिवक्ता अनिल भूरेटा ने वकालतनामा पेश किया व जवाब पेश किया जो इस प्रकार है– प्रार्थना पत्र का चरण नम्बर 1 मे वाद एवं प्रार्थना पत्र पेश करना स्वीकार है, शेष इबारत गलत है, स्वीकार नही है। प्रार्थीया के पक्ष मे कोई प्रथम दृष्टिया केस, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति नही है बल्कि प्रतिपक्षीगण के पक्ष मे सिद्ध है। प्रार्थना पत्र का चरण नम्बर 2 मे वर्णित आराजी भूमि की प्रार्थीया खातेदार होना स्वीकार है परन्तु प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात पर प्रार्थीया का कभी भी कब्जा काश्त नही रहा है और ना ही वर्तमान मे काबिज है। प्रार्थना पत्र का चरण नम्बर 3 गलत है, स्वीकार नही है। प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात पर प्रार्थीया कभी भी काबिज नही रही है। प्रतिपक्षीगण का शुरू से ही प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजीयात पर कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा वर्तमान मे भी प्रतिपक्षीगण भूमि पर काबिज है। प्रार्थीया के पिता घीसालाल की मृत्यु सन 2005 मे हो चुकी है तथा प्रार्थीया का विवाह लगभग 30–35 वर्ष पूर्व हो चुकी है तथा प्रार्थीया अपने ससुराल मे निवास कर रही है। प्रार्थना पत्र का चरण नम्बर 4 जिस तरह से वर्णित किया गया है गलत है, स्वीकार नही है। प्रार्थीया का जब भूमि पर कब्जा ही नही है तो प्रार्थीया को भूमि से बेदखल करने, कब्जे काश्त मे हस्तक्षेप करने तथा नाजायज कब्जा करने का प्रश्न ही नही उठता है। प्रार्थीया के पिता व प्रतिपक्षीगण के पिता व नाथूलाल भाई थे। पूर्व मे उक्त जमीन सिवायचक थी जो बाद मे प्रार्थीया के बड़े पिता नाथूलाल के खातेदारी मे लगा दी गई। प्रार्थीया का कभी भी उक्त भूमि पर कब्जा नही रहा है। प्रार्थना पत्र का चरण नम्बर 4 जिस तरह से वर्णित किया गया है गलत है, स्वीकार नही है। प्रार्थीया का कभी भी प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि पर कब्जा नही रहा है और ना ही प्रार्थीया वर्तमान मे काबिज है। प्रार्थीया का नाम राजस्व रिकार्ड मे गलत रूप से बतोर खातेदार अंकित है जिसका नाजायज फायदा उठाकर प्रार्थीया, प्रतिपक्षीगण को इस वाद व प्रार्थना पत्र की आड़ मे मनगढ़त तथ्यों के आधार पर उक्त भूमि से बेदखल करना चाहती है जिसका कि उसे कोई कानूनी व वैधानिक अधिकार प्राप्त नही है। प्रार्थना पत्र मे चाही गयी प्रार्थना गलत है, स्वीकार नही है। प्रार्थीया कोई अनुतोष प्राप्त करने की अधिकारी नही रहा है। प्रार्थीया का कभी भी प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि पर कब्जा नही रहा है और ना ही प्रार्थीया वर्तमान मे काबिज है। प्रतिपक्षीगण वर्तमान मे उक्त भूमि पर काबिज है तथा काश्त कर रहे है इस कारण प्रतिपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायोचित नही है। यदि

गण को पाबंद कर दिया गया तो प्रतिपक्षीगण को नाकाबिले नुकसान होगा तथा जायज हक व अधिकार से वंचित हो जावेगे ऐसी स्थिति मे प्रार्थीया का प्रार्थना मय हर्जा खर्चा खारिज किया जाना नितान्त आवश्यक है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी। अधिवक्ता प्रार्थी ने बहस में प्रा0पत्र के तथ्यो को ही दोहराया। प्रार्थना पत्र स्वीकार करने की प्रार्थना की।

अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 1 ता 2 ने अपनी बहस में जवाब के तथ्यों को दोहराया एवं प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने की प्रार्थना की।

पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज जमाबन्दी संम्वत 2074–77 वाके ग्राम बंथली पटवार हल्का बंथली तहसील बंथली में ललता पत्नी परमेश्वर पिता घासीलाल जाति ब्रहाम्ण के रूप में दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। किसी भी प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा की स्वीकृति हेतु तीन मूलभूत सिद्धांतों का होना आवश्यक है। **प्रथम दृष्टया मामला** कब्जा सम्बन्धी विवाद प्रार्थीया ने स्वयं को काबिज बताया है, राजस्व रिकॉर्ड में नाम होना मात्र ही मौके पर भौतिक कब्जे का पूर्ण प्रमाण नहीं माना जा सकता, जब तक कि मौके की स्थिति स्पष्ट न हो। यह निर्विवाद है कि रिकोर्डेड खातेदार का कब्जा स्वतः माना जाना चाहिए, किन्तु अप्रार्थीगण के जवाब अनुसार विवादित भूमि पर अप्रार्थीगण का लम्बे समय से कब्जा है जो कि साक्ष्य का विषय है। बिना साक्ष्य/सबुतों के प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थीया के पक्ष में सिद्ध नही होता है। **सुविधा का संतुलन** अप्रार्थीगण का तर्क है कि वे मौके पर खेती कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में, बिना गहन साक्ष्य के, उन्हें वर्तमान स्थिति से बेदखल करने या पाबंद करने से खेती के कार्य में व्यवधान उत्पन्न होगा, जिससे सुविधा का संतुलन अप्रार्थीगण के पक्ष में है। चूंकि विवाद विषय कब्जा है और साक्ष्य के बिना व प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर अस्थायी निषेधाज्ञा का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रथम दृष्ट्या व सुविधा के संतुलन प्रार्थीया के पक्ष में नही होने से अपूर्णीय क्षति का बिन्दू भी प्रार्थीया के पक्ष में साबित नही होते है।

।। आदेश ।।

अतः प्रथम दृष्ट्या व सुविधा के संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति के बिन्दू प्रार्थीया के पक्ष में निर्णित होने से प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट अस्वीकार कर खारीज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली